न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 53/2016
CIS No. :– TS/16/2020
CNR :– BRWC22–000022–2020

मुसम्मात रमा देवी एवं अन्य बनाम् **राजु कुमार जयसवाल एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
02.02.2022	अभिलेख पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभिलेख वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र दिनांक 05.01.2022 पेश हुई। वादीगण के द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 05.01.2022 आदेश 22 नियम 4 एवं आदेश 22 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता समर्थित शपथपत्र प्रतिवादी संख्या–2 महादेव प्रसाद की मृत्यु दिनांकित 13.08.2016 एवं प्रतिवादी संख्या–3 मुसम्मात गोदावरी देवी की मृत्यु दिनांकित 08.11.2017 को होने के कारण कायमी मुकामी प्रार्थनापत्र में विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थनापत्र प्रतिवादी संख्या–2 व 3 के वारिसानो को कायम मुकाम किये जाने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 05.01.2022 के हाशिए पर अनापत्ति अंकित की गई है। उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभिलेख का सम्यक परिशीलन किया। अभिलेख के सम्यक परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–2 महादेव प्रसाद एवं प्रतिवादी संख्या–3 मुसम्मात गोदावरी देवी की मृत्यु उपरान्त उपरोक्त प्रतिस्थापना प्रार्थनापत्र विलम्ब क्षमा याचना के साथ प्रस्तुत किया गया, जिसमें मृत्यु की तिथि दिनांक 13.08.2016 एवं 08.11.2017 अंकित है। उपरोक्त सभी प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। विलम्ब क्षमा हेतु लिये गये आधार विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु पर्याप्त है। प्रतिवादीगण की ओर से के वारिसानो के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई	

न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :— 53/2016
CIS No. :— TS/16/2020
CNR :— BRWC22–000022–2020

मुसम्मात रमा देवी एवं अन्य बनाम् **राजु कुमार जयसवाल एवं अन्य**

लगातार **02.02.2022**	है। अतः प्रार्थनापत्र दिनांकित 05.01.2022 न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है। **आदेश** प्रार्थनापत्र दिनांक—05.01.2022 रू० 900/– हर्जे पर स्वीकार कर विलम्ब को क्षमा किया जाता है। तदनुसार प्रतिस्थापना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादीगण वादपत्र में वांछित संशोधन/प्रतिस्थापना विधि द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर करें। तत्पश्चात प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु सम्मन की आपेक्षिकाए दाखिल करे। तदुपरांत कार्यलय जांचोपरांत प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण के विरूद्ध सम्मन निर्गत करे। वादीगण को आदेशित किया जाता है कि वे हर्जा अगामी नियत तिथि तक प्रतिवादी पक्ष को अदा करना सुनिश्चित करें। हर्जा अदायगी पर ही प्रार्थनापत्र दिनांक 05.01.2022 स्वीकृत माना जायेगा। अभिलेख वास्ते अग्रिम कार्यवाही/प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु दिनांक—16.02.2022 को पेश हो। अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष—4 नरकटियागंज	